

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग- 2, गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.
(समक्ष : पंकज शर्मा)

व्य. वाद कमांक :- 14-ए/14

संस्थित दिनांक :- 19/09/13

01. हरी सिंह पुत्र रामरूप सिंह उम्र 58 वर्ष

02. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामरूप सिंह उम्र 53 वर्ष

निवासीगण :- ग्राम बकनासा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- वादीगण

विरुद्ध

01. सोनू पुत्र राकेश सिंह उम्र 33 वर्ष

02. राकेश सिंह पुत्र लज्जाराम उम्र 58 वर्ष

निवासीगण :- ग्राम बकनासा, तहसील-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

----- प्रतिवादीगण

// निर्णय //

{आज दिनांक :- 21/12/2016 को घोषित किया}

(01). वादी हरी सिंह एवं अन्य द्वारा यह वाद प्रतिवादी सोनू एवं अन्य के विरुद्ध ग्राम बकनासा की ग्राम आबादी स्थित भूमि 40 गुणा 45 फुट अर्थात् 1800 वर्गफुट, के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष वावत् प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूमि को निर्णय के आगे की कंडिकाओं में वादग्रस्त भूमि नाम से सम्बोधित किया गया है।

(02). प्रकरण में कोई सारवान स्वीकृत तथ्य नहीं है।

(03). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उनके मकान से लगी हुई खुली भूमि है, जिसमें कुटी की मशीन, पशु बांधने के खनोटे आदि बने हुये हैं। जिस पर वादीगण का पीढ़ी-दर-पीढ़ी कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व दिशा में स्कूल जाने के लिए पाँच फुट का रास्ता तथा रामलखन सिंह का मकान है। पश्चिम दिशा में नाली है, नाली के पश्चात् 150 फुट खुली जगह तथा उसके पश्चात् प्रतिवादीगण का मकान है। उत्तर दिशा में खुली जगह नाला एवं रास्ता है। दक्षिण दिशा में 12 फुट चौड़ा रास्ता, खरंजा एवं इसके पश्चात् वादीगण का मकान है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण के मकान के उत्तर दिशा में स्थित है। उक्त तथ्यों को स्पष्ट

करने के लिए वाद-पत्र के साथ मानचित्र संलग्न किया गया है। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि को लेकर प्रतिवादीगण वादीगण से झगड़ा करने लगे, जिसकी रिपोर्ट थाना एण्डोरी में की गई। थाना एण्डोरी द्वारा धारा 145 द.प्र.सं. का परिवाद वादी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय एसडीएम गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी एसडीएम द्वारा कोई विधिवत् सुनवाई नहीं की गई और ना ही कोई साक्ष्य ली गई और उक्त परिवाद निरस्त कर दिया गया। जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण वादीगण द्वारा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परन्तु पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं ली गई और ना ही कोई सुनवाई की गई और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण दिनांक : 12/09/2013 को निरस्त किया गया। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में यह तथ्य उल्लेखित किये गये कि वादग्रस्त जगह की जांच की जाये परन्तु कोई जांच नहीं की गई, बल्कि एक व्यवहार वाद का उल्लेख करके पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दी गई, बल्कि व्यवहार वाद में कोई वाद प्रश्न नहीं बनाये गये थे, ना ही वाद प्रश्नों के आधार पर व्यवहार वाद का कोई निर्णय किया गया था। इस प्रकार एसडीएम एवं पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश विधि विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक : 12/09/2013 को पुनरीक्षण याचिका खारिज हो जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण नाली बंद करने गये एवं वादग्रस्त भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने को उतारू हो गये। उनके द्वारा दिनांक : 14/09/2013 को वादग्रस्त भूमि में मटेरियल एकत्रित कर लिया गया। अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि यह घोषित किया जाये कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। न्यायालय एसडीएम गोहद एवं पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित आदेश वादीगण के संबंध में व्यर्थ होकर शून्य है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से निषेधित किया जाये कि वह वादग्रस्त भूमि में कोई निर्माण कार्य ना करें, वादग्रस्त भूमि में बनी नाली में होकर पानी के प्रवाह को ना रोके एवं वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा वर्ताव में कोई बाधा उत्पन्न ना करें।

(04). स्वीकृत तथ्यों से इतर वादीगण के समस्त अभिवचनों को विनिर्दिष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर में किये गये अभिवचन संक्षेप में सारतः इस प्रकार हैं कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं है, ना ही वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। एसडीएम गोहद एवं पुनरीक्षणकर्ता माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किये गये हैं। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई नाली बंद नहीं की गई है। वाद पत्र की आड़ में वादीगण, प्रतिवादीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा वर्ताव है। फलतः उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

(05). उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक :- 07/09/2016 को वाद-प्रश्न विरचित किये गये, जो कि निम्नलिखित हैं, जिनके समक्ष विवचेना के उपरांत निष्कर्ष अंकित किए गये हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या वादीगण ग्राम बकनासा की ग्राम आबादी स्थित वादग्रस्त भूमि 40 गुणा 45 फुट अर्थात् 1800 वर्गफुट, के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?	अप्रमाणित
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादीगण के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है?	अप्रमाणित
03.	क्या न्यायालय एसडीएम गोहद द्वारा प्रकरण क्रं. 07/2008 मु.फौ. धारा 145 द.प्र.सं. पुलिस थाना एण्डोरी विरुद्ध सुरेन्द्र सिंह, सोनू एवं राकेश में पारित आदेश दिनांक : 17/03/2009 एवं पुनरीक्षण में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2009 में पारित आदेश दिनांक : 12/09/2013 विधि विरुद्ध होने के कारण वादीगण के विरुद्ध शून्य है?	अप्रमाणित
04.	क्या वादीगण द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है?	“वाद मूल्यांकन समुचित परन्तु न्यायशुल्क अपर्याप्त”
05.	अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय?	वाद निर्णय के पद क्रमांक 14 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया।

// निष्कर्ष एवं आधार //

वाद प्रश्न क्रमांक : 01

(06). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी क्रमांक 02 सुरेन्द्र सिंह वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी रामनरेश वा.सा.02 एवं भारत सिंह वा.सा.03 ने वादीगण के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण ने उनके वाद के समर्थन में न्यायालय एसडीएम गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2008

मु.फौ. धारा 145 द.प्र.सं. पुलिस थाना एण्डोरी विरुद्ध सुरेन्द्र सिंह, सोनू एवं राकेश में पारित आदेश दिनांक : 17/03/2009 प्र.पी.02, पुनरीक्षण में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक 07/2009 में पारित आदेश दिनांक : 12/09/2013 प्र.पी.01 एवं ग्राम पंचायत बकनासा के ठहराव क्रमांक : 05, दिनांक : 02/10/2008 की सरपंच तेजपाल द्वारा प्रदत्त प्रति प्र.पी.03 प्रस्तुत की है।

(07). प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में वादी सुरेन्द्र सिंह वा.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में हस्तगत प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। उसने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बकनासा के किस सर्वे क्रमांक में स्थित है, इसका कोई उल्लेख उसके द्वारा वाद-पत्र में नहीं किया गया। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आबादी में स्थित है। वादी साक्षी भारत वा.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि वह जानता है कि ग्राम आबादी जगह का खसरा होता है और उसका सर्वे क्रमांक भी होता है। उल्लेखनीय है कि ग्राम आबादी का भी सर्वे क्रमांक होता है, परन्तु वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्रमांक का उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में वादी सुरेन्द्र सिंह वा.सा.01 ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि के खसरा-खतौनी एवं ग्राम आबादी का कोई अक्श पेश नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिवादी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि का कोई सीमांकन नहीं कराया है।

(08). वादीगण की ओर से ग्राम पंचायत बकनासा के ठहराव क्रमांक 05, दिनांक : 02/10/2008 की सरपंच तेजपाल द्वारा प्रदत्त प्रति प्र.पी.03 के अलावा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादीगण वादग्रस्त भूमि पर कई पीढ़ियों से निरन्तर स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। प्रथमतः तो कोई ठहराव यथा ठहराव प्र.पी.03 किसी भी व्यक्ति को किसी स्थावर सम्पत्ति पर स्वामित्व प्रदान नहीं करता, और ना ही कोई ठहराव किसी स्थावर सम्पत्ति पर स्वामित्व का कोई प्रमाण होता है। द्वितीयतः वादीगण द्वारा उक्त ठहराव प्र.पी.03 को प्रमाणित करने के ग्राम पंचायत बकनासा के सरपंच तेजपाल या तत्कालीन सचिव को न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उक्त ठहराव प्र.पी.03 के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त भूमि का स्वामी अथवा आधिपत्यधारी प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस प्रकार वादी सुरेन्द्र वा.सा.01, साक्षी रामनरेश वा.सा.02 एवं भारत सिंह वा.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं, जो वादीगण को वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित करते हो।

(09). प्रतिवादी क्रमांक 02 राकेश प्रति.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुए तथा साक्षी रमेश प्रति.सा.02 ने प्रतिवादीगण के अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हुये वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पीढ़ी दर पीढ़ी स्वामित्व एवं आधिपत्य से इन्कार किया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में प्रतिवादी राकेश प्रति.सा. 01 ने वादी अधिवक्ता के इन सुझावों से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण सुरेन्द्र सिंह आदि के खनोटे बने हैं एवं कुटी की मशीन लगी हुई है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पुस्तैनी भूमि है। राकेश प्रति.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है। रमेश प्रति.सा.02 ने भी उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में वादी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण सुरेन्द्र आदि के खनोटे बने हैं और कुटी की मशीन लगी है। रमेश प्रति.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य भी प्रति-परीक्षण उपरांत पूर्णतः अखण्डित रहा है।

(10). वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वह ग्राम बकनासा की ग्राम आबादी स्थित वादग्रस्त भूमि 40 गुणा 45 फुट अर्थात् 1800 वर्गफुट, के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 02

(11). इस वाद प्रश्न के संदर्भ में वादी क्रमांक 02 सुरेन्द्र सिंह वा.सा.01 ने उसके अभिवचनों के अनुरूप शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण कथन प्रस्तुत किया है। साक्षी रामनरेश वा.सा.02 एवं भारत सिंह वा.सा.03 ने वादीगण के अभिवचनों के अनुरूप उसका मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। चूँकि वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निष्कर्ष के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादीगण के किन्हीं अधिकारों में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष भी “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 03

(12). वादीगण द्वारा उनके अभिवचन या साक्ष्य में ना तो यह दर्शित किया गया है, ना ही यह प्रमाणित किया गया है कि न्यायालय न्यायालय एसडीएम गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2008 मु.फौ. धारा 145 द.प्र.सं.

पुलिस थाना एण्डोरी विरुद्ध सुरेन्द्र सिंह, सोनू एवं राकेश में पारित आदेश दिनांक : 17/03/2009 प्र.पी.02, पुनरीक्षण में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक 07/2009 में पारित आदेश दिनांक : 12/09/2013 प्र.पी.01 किस प्रकार विधि विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय एसडीएम गोहद को धारा 145 द.प्र.सं. के अन्तर्गत उसके समक्ष प्रस्तुत परिवाद के विचारण का अनन्य अधिकार प्राप्त था और माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद को भी न्यायालय एसडीएम गोहद के द्वारा पारित निर्णय के पुनरीक्षण की अधिकारिता थी। न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद ने पुनरीक्षण क्रमांक 07/2009 में पारित आदेश दिनांक : 12/09/2013 प्र.पी.01 में न्यायालय एसडीएम गोहद के प्रकरण क्रमांक 07/2008 मु.फौ. धारा 145 द.प्र.सं. पुलिस थाना एण्डोरी विरुद्ध सुरेन्द्र सिंह, सोनू एवं राकेश में पारित आदेश दिनांक : 17/03/2009 प्र.पी.02 को अवैध या औचित्यहीन होना प्रमाणित नहीं पाया था। इस प्रकार वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि न्यायालय एसडीएम गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2008 मु.फौ. धारा 145 द.प्र.सं. पुलिस थाना एण्डोरी विरुद्ध सुरेन्द्र सिंह, सोनू एवं राकेश में पारित आदेश दिनांक : 17/03/2009 एवं पुनरीक्षण में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2009 में पारित आदेश दिनांक : 12/09/2013 विधि विरुद्ध होने के कारण वादीगण के विरुद्ध शून्य है। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “अप्रमाणित” के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक : 04

(13). हस्तगत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बावत प्रस्तुत किया गया है। स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के वाद में वाद मूल्यांकन का सिद्धान्त धारा - 7 (IV) c न्यायालय शुल्क अधिनियम में उपबंधित है, जिसके अनुसार वादीगण को उनके द्वारा चाहे गये अनुतोष के मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता है तथा उसे किये गये मूल्यांकन पर मूल्यानुसार न्याय शुल्क अदा करना होता है। वादीगण द्वारा अनुतोष का मूल्यांकन स्वत्व घोषणा हेतु 25,000/- रुपये एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु 100/- रुपये इस प्रकार कुल 25,100/- रुपये निर्धारित किया गया है तथा मूल्यानुसार मात्र 600/- रुपये न्याय शुल्क अदा किया गया है, जो कि पर्याप्त होना प्रतीत नहीं होता। फलतः इस वाद प्रश्न का निष्कर्ष “मूल्यांकन समुचित लेकिन न्यायशुल्क अपर्याप्त” के रूप में विनिश्चित किया जाता है।

{ अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय }

- (14). उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादीगण उनका वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। फलतः वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।
- (15). वादीगण स्वयं के साथ-साथ प्रतिवादीगण का भी वाद-व्यय वहन करेंगे।
- (16). अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।
- (17). तदनुसार जय पत्र बनाया जावे।

निर्णय आज दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया।

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.

(पंकज शर्मा)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
गोहद जिला भिण्ड, म.प्र.